

सीड बोस्ट

पत्रांक--वि० प्र० (111)ब-11/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,

अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, गया/सहरसा/छपरा/पूर्णिया/दरभंगा/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/पटना-7/राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-103- तकनीकी विद्यालय, उपशीर्ष-0001-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" विपत्र कोड-N2203001030001 के अधीन प्रथम एवं अंतिम किस्त का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षों में 31 मार्च 2016 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालयों यथा गया/सहरसा/छपरा/पूर्णिया/दरभंगा/गया (छावनी)/मोतिहारी/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/आरा/मुंगेर एवं राजकीय मुद्रण प्रौद्योगिकी विद्यालय, गुलजारबाग पटना-7 को प्रथम एवं अंतिम किस्त के रूप में कुल रू०-97,88,700.00 (सन्नतागवे लाख अठ्ठासी हजार सात सौ रूपये) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

- संबंधित विद्यालय अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवंटन आदेश के प्रत्याशा में माह मार्च 15 एवं अप्रैल 15 के लिए कर्मियों के वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षों में निकासी की गई राशि का सामंजस इस आवंटन आदेश से की जायेगी।
- उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान तथा वित्त विभाग के पत्रांक-3429 दिनांक-01.04.2015 के आलोक में वर्ष 2014-15 में सम्पादित कार्यों तथा ली गई आपूर्तियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।
- उक्त आवंटन में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषयशीर्ष में आवंटित राशि से सरथान द्वारा कार्यरहित में प्राप्त की जा रही अंशकालीन लिपिकों की सेवा के लिए उनके पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र सकारण प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।
- यदि किसी विषयशीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो उक्त विषयशीर्ष में प्राप्त राशि इसके तिरुद्ध व्यय की गई राशि एवं शेष राशि के साथ याचित राशि की स्पष्ट विवरणी एवं याचित राशि के उद्देश्य के साथ माँग हेतु अनुरोध किया जाय।
- विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षों का नाम, माँग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषय शीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
- स्वीकृतादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक-280/वि० दिनांक-29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- व्यय-विवरणी टी०भी०न० एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।
- नियमित भुगतान के उपरान्त राशि शेष रहने पर बकाये वेतन एवं भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथावर्णित।

1 (एक) पन्ना में।

विश्वामभरण

24/6/15
(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव

858

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (।।।)ब-11/2012

12 (मि) / पटना, दिनांक- 29-6-015

प्रतिलिपि-प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथावर्णित।

1 (एक) पन्ना में।

20/29/6/15

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (।।।)ब-11/2012

12 (मि)

/ पटना, दिनांक- 29-6-015

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, गया/सहरसा/छपरा/ पूर्णिया/ दरभंगा/ मोतिहारी/ भागलपुर/ मुजफ्फरपुर/ अरा/ मुंगेर तथा कोषागार गुलजारबाग पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विपत्र पारित करने के क्रम में अपने स्तर पर सुनिश्चित हो लें कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षों का नाम, मॉग संख्या, विपत्र कोड तथा कूट संख्या सहित विषय शीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सकें।

अनु०-यथावर्णित।

1 (एक) पन्ना में।

20/29/6/15

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (।।।)ब-11/2012

12 (मि)

/ पटना, दिनांक- 29-6-015

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लि० कम्पनी विद्युत भवन बेली रोड पटना/उप निदेशक (यो०)/ प्रशासक पदाधिकारी-3/1 (एक) अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथावर्णित।

1 (एक) पन्ना में।

20/29/6/15

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (।।।)ब-11/2012

12 (मि)

/ पटना, दिनांक- 29-6-015

प्रतिलिपि-श्री संजय कुमार, आई०टी०मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक-3432 दिनांक-01.04.2015 के आलोक में कार्रवाई हेतु तथा संबंधित संस्थानों को e-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथावर्णित।

1 (एक) पन्ना में।

20/29/6/15

अपर सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

24-12-15
29-8-15
8/2/15

